मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अप्रैल 2014-चैत्र 28, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

FORM NO. 5

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT INDORE

Company Petition No. 26 of 2013

Connected with

Company Application No. 20/2013

In the matter of the Scheme of Amalgamation of

Alpna Appliances Pvt. Ltd. with Aditya Appliances Pvt. Ltd.

under section 391 to 394 of the Companies Act, 1956

In the matter of :

ALPNA APPLIANCES PRIVATE LIMITED

A Company registered under the Companies Act, 1956

having its Registered office at 5-11-8 Sector-1,

Industrial Area-1, Pitampur Dhar, Indore, Madhya Pradesh. First Petitioner Company

ADITYA APPLIANCES PRIVATE LIMITED

A Company registered under the Companies Act, 1956

having its Registered office at A-1, Megh Building,

Mahatma Gandhi Road, Indore, Madhya Pradesh. Second Petitioner Company

NOTICE OF PETITION

A petition under sections 391-394 of companies Act, 1956 for obtaining of sanction of Hon'ble High Court to the scheme of Amalgamation of Alpna Appliances Private Limited (First Petitioner Company) with

Aditya Appliances Private Limited (Second Petitioner Company) was presented by petitioners on the 17th day of June 2013 and that said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on 29th April, 2014.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's Advocate, notice of such intention, signed by him or his Advocate, with him name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later then 2 days before the date fixed for hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Indore, Dated 5TH April, 2014.

Vijay Assudani,
Advocate for the Petitioners,
M/48-49, Trade Centre,
18, South Tukoganj, Indore-452001 (M. P.).

(19-B.)

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 02 अप्रैल, 2014

क्रमांक-665.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-20 (1), 21 (1) तथा 23 (क, ख, ग) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-24 (1), 25 तथा 26 (1, 2, 3) के अनुपालन में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नीचे दर्शित बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्पूर्ण राज्य में (क) जानकारी प्राप्त करने, (ख) नमूने एकत्रित करने तथा (ग) किसी स्थान में प्रवेश करने तथा निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करता है—

1. अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
4. अधीक्षण यंत्री
5. क्षेत्रीय अधिकारी
6. कार्यपालन यंत्री/मुख्य रसायनज्ञ
7. सहायक यंत्री/वैज्ञानिक
8. उप क्षेत्रीय अधिकारी
9. कनिष्ठ वैज्ञानिक
10. उपयंत्री/रसायनज्ञ
11. प्रयो. सहायक/सेम्पलर
    (विज्ञान विषय में स्नातक)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा
आदेशानुसार,
ए. ए. मिश्रा,
सदस्य सचिव.

(17-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ग्रीन इन्फ्राटेक दिनांक 31-05-2012 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/00060/12 सन् 12-13 के रूप में कार्य कर रहे हैं. जिसे कि पूर्व में दिनांक 12-10-2013 को संशोधित किया जा चुका है. अब संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 12-10-2013 के द्वारा नये भागीदार के रूप में (1) श्री लखमी चन्द ठक्कर पुत्र श्री गुरूमुख दास ठक्कर, निवासी-डी-56, बसंत विहार, ग्वालियर, (2) श्री हनी ठक्कर पुत्र श्री लखमी चन्द ठक्कर निवासी-डी-56, बसंत विहार, ग्वालियर, (3) श्रीमती संतोष ठक्कीर पत्नी श्री लखमी चन्द ठक्कर, निवासी-डी-56, बसंत विहार, ग्वालियर, (4) श्रीमती स्वाती ठक्कर पत्नी श्री दीपक ठक्कर, निवासी-डी-56, बसंत विहार, ग्वालियर, (5) श्रीमती रेनू आंनद पत्नी श्री विजय कुमार आंनद, निवासी-साईट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर सम्मिलित हुये हैं. इस तरह साझेदारी बिलेख दिनांक 12-10-2013 द्वारा उपरोक्त फर्म में निम्नलिखित साझेदार वर्तमान में हैं. (1) श्री आदित्य लड्डा पुत्र श्री बृजमोहन लड्डा, निवासी-बी-17, आर. पी. कॉलोनी, ग्वालियर, (2) श्री आयुष लड्डा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल लड्डा, निवासी-बी-17, आर. पी. कॉलोनी, ग्वालियर, (3) श्री अमृत महेश्वरी पुत्र श्री घनश्याम दास महेश्वरी, निवासी-59, दुर्गापुरी, ग्वालियर, (4) श्रीमती रतन देवी धूत पत्नी श्री गणेश राम धूत, निवासी-कचहरी रोड, ईरोड, (5) श्री नीता महेश्वरी पत्नी श्री कृष्ण गोपाल महेश्वरी, निवासी-65, बसंत विहार, ग्वालियर, (6) श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री मुन्नालाल भारद्वाज, निवासी-28, ललितपुर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, (7) श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, निवासी-कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर, (8) श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश नारायण गुप्ता, निवासी-आई-11, 112 चेतकपुरी, ग्वालियर, (9) श्री लखमी चन्द ठक्कर पुत्र श्री गुरूमुख दास ठक्कर, निवासी-डी-56, बसंत विहार, ग्वालियर, (10) श्री हनी ठक्कर पुत्र श्री लखमी चन्द ठक्कर निवासी-डी-56, बसंत विहार, ग्वालियर, (11) श्रीमती संतोष ठक्कीर पत्नी श्री लखमी चन्द ठक्कर, निवासी-डी-56, बसंत विहार, ग्वालियर, (12) श्रीमती स्वाती ठक्कर पत्नी श्री दीपक ठक्कर, निवासी-डी-56, बसंत विहार, ग्वालियर, (13) श्रीमती रेनू आंनद पत्नी श्री विजय कुमार आंनद, निवासी-साईट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर है तथा अब फर्म के पते में भी परिवर्तन किया गया है जोकि एफ-30, संजय काम्पलेक्स, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर न होकर फर्म का नवीन पंजीकृत पता अमरकण्टक रेजीडेन्सी सर्वे क्रमांक 438, ग्राम डोंगरपुर, मुरार, जिला ग्वालियर रहेगा.

हर आम खास व्यक्ति को सूचित हो.

मैसर्स ग्रीन इन्फ्राटेक,
महेश भारद्वाज,
(पार्टनर)
अमरकण्टक रेजीडेन्सी, 438,
ग्राम डोंगरपुर, मुरार, जिला-ग्वालियर.

(18-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स महाकालेश्वर बिल्डकॉन, 33 अर्जुन नगर, उदयन मार्ग, उज्जैन फर्म की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है. इसमें पूर्व में निम्न तीन साझेदार थे—

1. श्री नागेन्द्र सिंह मेहता, 2. श्री सादिक हुसैन, 3. शिखा जैन इसमें निम्न दस साझेदार दिनांक 1-10-2013 से सम्मिलित हुए हैं—

1. श्री विवेक जायसवाल, 2. श्री सत्यनारायण जायसवाल, 3. श्री अर्जुन कानड़ी, 4. श्रीमती सरोज कानड़ी, 5. श्रीमती अनुरिका कानड़ी, 6. श्री आदित्य कानड़ी, 7. श्री रविन्द्र सोलंकी, 8. श्री सुरेश विजयवर्गीय, 9. श्री राजेन्द्र सुराना, 10. श्री सुरेश मोढ़.

किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करें.

मेसर्स महाकालेश्वर बिल्डकॉन,
सादिक हुसैन,
(पार्टनर).

(15-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स महाकालेश्वर बिल्डकॉन, 33 अर्जुन नगर, उदयन मार्ग, उज्जैन फर्म की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है. इसमें पूर्व में निम्न तेरह साझेदार थे—

1. श्री नागेन्द्र सिंह मेहता, 2. श्री सादिक हुसैन, 3. शिखा जैन, 4. श्री विवेक जायसवाल, 5. श्री सत्यनारायण जायसवाल, 6. श्री अर्जुन कानड़ी, 7. श्रीमती सरोज कानड़ी, 8. श्रीमती अनुरिका कानड़ी, 9. श्री आदित्य कानड़ी, 10. श्री रविन्द्र सोलंकी, 11. श्री सुरेश विजयवर्गीय, 12. श्री राजेन्द्र सुराना, 13. श्री सुरेश मोढ़.

इसमें निम्न तीन साझेदार दिनांक 30-11-2013 से निकल रहे हैं. निकलने वाले साझेदार इस प्रकार हैं :—

1. श्री नागेन्द्र सिंह मेहता, 2. श्री सादिक हुसैन, 3. शिखा जैन

किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करें.

मेसर्स महाकालेश्वर बिल्डकॉन,
सत्यनारायण जायसवाल,
(पार्टनर).

(16-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मुह बोला पूनमचन्द गवली था और शैक्षणिक योग्यता में रिकार्ड अनुसार पन्नालाल गवली पिता मनीराम गवली है. सेवा पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में मेरा नाम पूनमचन्द गवली पिता मनीराम गवली है जिसे बदलकर पन्नालाल गवली ही लिखा एवं पढ़ा जावे एवं आज से मुझे पन्नालाल गवली से ही पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(पूनमचन्द मनीराम गवली)

नया नाम :

(पन्नालाल मनीराम गवली)
30, विक्रम मार्ग, देवास (म. प्र.).

(09-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार महतर निवासी उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश का रहने वाला हूं. यह कि पहले मेरा नाम अशोक कुमार महतर था, अब मुझे अशोक कुमार के नाम से जाना जाये. अतः अशोक कुमार ही मेरा नया प्रचलित नाम रहेगा.

पुराना नाम :

(अशोक कुमार महतर)

नया नाम :

(अशोक कुमार)
आ. हाकम सिंह,
निवासी-उदयपुरा, तहसील उदयपुरा,
जिला रायसेन (म. प्र.).

(10-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Archana Jain W/o Narendra Jain was known as Phoola Jain D/o Kapoor Chand Jain have changed my name from Phoola to Archana Jain by affidavit sworn before Notary public Bhopal on 06-08-2013. Henceforth I shall be known as Smt. Archana Jain for all purpose.

Old Name :

(PHOOLA JAIN)

New Name :

(ARCHANA JAIN)
W/o Shri Narendra Kumar Jain,
R/o 120, Sector B, Vidhya Nagar,
Hoshangabad Road, Bhopal (M.P.).

(11-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कु. रोली गुप्ता की सी.बी.एस.ई. सन् 2012 शिक्षण संस्था डी. ए. व्ही. बुढ़ार पब्लिक स्कूल, बुढ़ार, जिला शहडोल की कक्षा-10 की ग्रेडशीट में कु. रोली गुप्ता के पिता के नाम के कॉलम में त्रुटिवश मेरा नाम अनिल गुप्ता अंकित हो गया है जबकि मेरा सही नाम अनिल प्रसाद गुप्ता (ए. पी. गुप्ता) है तथा मेरे व मेरी पुत्री के अन्य शिक्षा दस्तावेजों में अनिल प्रसाद गुप्ता (ए.पी. गुप्ता) अंकित है जो कि सही है.

भविष्य में मुझे इसी नाम से मेरे व मेरी पुत्री के दस्तावेजों में लिखा व पढ़ा जावे.

अनिल प्रसाद गुप्ता,
(ए. पी. गुप्ता),
निवासी-बुढ़ार, जिला शहडोल,
द्वारा समर्पण प्रिंटर्स,
भारत टॉकीज रोड, शिन्दे की छावनी,
लश्कर, ग्वालियर.

(12-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद रय्यान खान वल्द अब्दुल साजिद खान, निवासी-म. नं. 111, कमला नगर, नरेला शंकरी, बी.एच.ई.एल., भोपाल शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूं कि—

मैं, भोपाल मध्यप्रदेश का निवासी हूँ और उक्त वर्णित पते 111, कमला नगर, नरेला शंकरी, बी.एच.ई.एल. भोपाल में निवास कर रहा हूँ.

मेरा सही नाम मोहम्मद रय्यान खान है और मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है, मेरा पुराना नाम गुलरेज़ खान था. अब मेरा नाम मोहम्मद रय्यान खान है, मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये. मेरे पुराने परिचय-पत्र में मेरा नाम गुलरेज़ खान लिखा गया था जो कि सत्य है लेकिन अब मैं अपना नाम परिवर्तन कर रहा हूँ, जिसमें मेरा नाम मोहम्मद रय्यान खान कर दिया जाय और भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये, जो कि सत्य एवं सही है.

पुराना नाम :

(गुलरेज़ खान)

नया नाम :

(मोहम्मद रय्यान खान)

(13-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, यह कथन करता हूं कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम विजय कुमार बडगे अंकित है. भविष्य में मुझे नये नाम विजय पी. बडगे से पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(विजय कुमार बडगे)

(VIJAY KUMAR BADGE)

नया नाम :

(विजय पी बडगे)

(VIJAY P BADGE)

अ-16, क्रिस्टल केम्पस, खजूरीकला रोड,
अवधपुरी, पिपलानी भेल भोपाल.

(14-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास , ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 11 मार्च, 2014

प्र. क्र. /2013-14/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

श्री आशीष साब पुत्र श्री दिलीप साब, इमरजेंसी चेरीटेबल ट्रस्ट, निवासी 18-बी, बसन्त बिहार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 11 अप्रैल, 2014 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 11 अप्रैल, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या

तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	..	इमरजेंसी चेरीटेबल ट्रस्ट 18-बी, बसन्त बिहार, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
2. चल सम्पत्ति	..	..
3. अचल सम्पत्ति	..	..

बक्की कार्तिकेयन,
पंजीयक.

(254)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्ररूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "मध्य भारत विवेकानन्द सेवा निधि ट्रस्ट" द्वारा श्री कौशल कुमार लोहानी, निवासी-25 वैशाली नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	..	"मध्य भारत विवेकानन्द सेवा निधि ट्रस्ट" 25 वैशाली नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल.
2.	अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
3.	चल सम्पत्ति	..	15,001/-

चन्द्र मोहन मिश्र,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(255)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर

गाडरवारा, दिनांक 12 मार्च, 2014

प्ररूप क्रमांक 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

निजी न्यासों के पंजीयक, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के समक्ष.

आवेदकगण— (1) संरक्षक कामद गिरी पीठाधीश्वर चित्रकूट के श्री अनंत विभूशित जगत गुरू स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी रामस्वरूपाचार्य चित्रकूट, जिला सतना (म. प्र.).

(2) प्रहलाद सिंह पटैल, निवासी करेली

(3) डी. पी. नायक, निवासी बरमानखुर्द

(4) राजेन्द्र कौरव, निवासी गोवर गांव

(5) उत्तम सिंह कौरव, निवासी खमरिया

(6) सुन्दर सिंह चौहान, निवासी देगुवां

(7) भगत सिंह ममार, निवासी पिपरया

(8) राघवेन्द्र सिंह मुकद्दम, निवासी ठुटी

(9) छोटे भैया पटैल, निवासी बघौरा

(10) रामप्रकाश अग्रवाल, निवासी बरमानखुर्द,

(11) स्वतंत्र पटैल, निवासी करेली

(12) दयाराम चौकसे, निवासी करेली

(13) सुश्री समीक्षा देवी, निवासी झांसी (उ. प्र.)

क्रमांक 2, 4, 7, 11 एवं 12 तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर एवं क्रमांक 3, 5, 6, 8 एवं 9 तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए निजी न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया गया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि आवेदन-पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2014 को 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता .. श्री महामृत्युंजय महादेव ट्रस्ट बरमानखुर्द, ग्राम बरमानखुर्द, पोस्ट बरमानखुर्द, तहसील गाडरवारा, जिला नरहिंसपुर (म. प्र.)

2. अचल सम्पत्ति का विवरण .. मौजा बरमानखुर्द, प. ह. नं. 96/72 तहसील गाडरवारा में निम्न भूमि स्थित है.

अचल सम्पत्ति की सूची

सम्पत्ति का नाम ..	रकबा हेक्टर में
भूमि मौजा बरमानखुर्द, ख. नं. 163	0.344 हे.
उक्त भूमि पर मंदिर उत्तर दक्षिण 80 फुट एवं पूर्व-पश्चिम 100 फुट निर्मित मंदिर में स्थापित मूर्तियां शिव जी, गणेश जी, पार्वती जी, हनुमान जी, नंदी जी, लक्ष्मी प्रसाद जी, अन्नपूर्णा जी, गरूड़ जी एवं बाराह जी कीमती करीबन	10,20,000/-

चल सम्पत्ति की सूची

घन्टा चार	..	2000/-
घंटी दो	..	100/-
पूजन थाली-एक	..	100/-
लोटा-एक	..	100/-
वस्त्र भगवान के 8 जोड़ी	..	800/-
लकड़ी अलमारी एक	..	1200/-
ताला 6	..	100/-
मंदिर में लगे छोटे बड़े कलश	..	5000/-
पंखा एक, बल्व पाँच, सी.एफ.एल. 5कीमती	..	1000/-
	योग. .	10,500/-

आर. पी. बड़ोदे,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेश क्रमांक/परि./2013/188, भिण्ड, दिनांक 30 जनवरी, 2013 के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	138/11-06-65	1093/20-06-1991
2.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	173/17-06-65	2680/20-04-1984
3.	ऊन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	014/24-10-63	934/31-03-1998
4.	आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड		
5.	दाल-चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., विलाव	183/23-01-73	
6.	भिण्ड लेदर वर्क्स सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	8232/14-12-72	8228/20-10-1968
7.	मोचियान तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	7883/21-12-75	7883/27-12-1978
8.	आजाद कृषि उपकरण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	157/08-12-62	1206/20-06-1991
9.	लक्ष्मी तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अकोड़ा	326/23-02-83	1208/20-06-1991
10.	काष्ट कला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	219/27-03-68	1230/20-06-1991
11.	गांधी रेडीमेड उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	335/31-12-83	1204/20-06-1991
12.	ढलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	272/26-02-76	784/27-04-1995
13.	आदर्श महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	287/26-02-76	289/27-04-1995
14.	दाल चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	184/23-01-73	2730/29-09-1977
15.	लक्ष्मी तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नयागाँव	433/12-11-66	971/27-06-1995
16.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	413/26-05-86	2208/03-11-2000
17.	आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	361/09-09-85	2205/08-11-2000
18.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सायना	655/05-04-89	1512/25-06-2009
19.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गहेली	520/21-03-98	1511/25-06-2009
20.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनाथर	564/14-03-88	1575/25-06-2009
21.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीताराम की लावन	652/20-04-89	1528/25-06-2009
22.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिरखड़ी	452/12-03-87	1130/30-06-2006
23.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुकाण्ड	508/16-03-88	994/06-04-2005
24.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खनेता	641/30-04-89	852/19-04-1995
25.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घमूरी	552/23-07-87	860/23-04-1995

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दि. से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.

समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षण स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 15 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

आर. के. जैन ''सोहाने'',
ऑडिटर एवं परिसमापक.

(257)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, भिण्ड, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेश क्रमांक/परि./2013/179, भिण्ड, दिनांक 30 जनवरी, 2013 के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	इन्द्रिरा गाँधी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लहार	841/06-06-02	
2.	नेहरू बुनकर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दबोह	448/05-03-87	2578/14-10-1991
3.	शाक्यो बुनकर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लहार		
4.	वारसी बुनकर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लपवाहा	01/21-07-98	
5.	टेलरी सहकारी संस्था मर्या., लहार	199/14-03-66	606/21-02-1981
6.	हरिजन कुम्हारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जमुहा	1272/16-06-75	1297/16-06-1975
7.	राष्ट्रीय तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बडोखरी		7979/27-12-1978
8.	विनोवा तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लहार	7083/05-12-72	
9.	ईंट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मड़ोरी अजनार	326/23-02-82	1217/20-06-1991
10.	ब्रिक्स सप्लाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लहार	130/	
11.	अजन्ता चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., लालपुरा, लहार	726/25-03-86	165/25-06-2009
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चादोंख	654/05-04-89	1467/25-06-2009
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काथा	516/16-03-88	1468/25-06-2009
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानगढ़	655/28-04-87	1472/25-06-2009
15.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बन्थरी	514/16-03-88	1471/25-06-2009
16.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोलतपुरा	555/24-04-88	1473/25-06-2009

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दि. से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.

समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षण स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

विनोद कुमार जैन,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(258)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत शा. लघुवेतन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सीतामऊ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक/29, दिनांक 23 फरवरी, 1985 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र./943/परि./13, दिनांक 7 दिसम्बर, 2013 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत शा. लघुवेतन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सीतामऊ, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री टी. आर. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(259)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत बुनकर सहकारी संस्था मर्या., दलौदा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक/374, दिनांक 15 मई, 1992 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र./939/परि./13, दिनांक 7 दिसम्बर, 2013 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था अध्यक्ष संस्था को परिसमापन में लाए जाने का निवेदन किया गया है.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत बुनकर सहकारी संस्था मर्या., दलौदा, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं सुश्री विपिन बड़गोती, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(259-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत केशव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सीतामऊ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक/31, दिनांक 6 अप्रैल, 1980 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र./944/परि./13, दिनांक 7 दिसम्बर, 2013 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत केशव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सीतामऊ, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल ओझा, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(259-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत मित्रमण्डली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक/33, दिनांक 17 अक्टूबर, 1986 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र./942/परि./13, दिनांक 7 दिसम्बर, 2013 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था अध्यक्ष संस्था को परिसमापन में लाए जाने का निवेदन किया गया है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत मित्रमण्डली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री एस.एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(259-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक प्रा. भण्डार सहकारी मर्या., भानपुरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक/865, दिनांक 3 अप्रैल, 2006 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र./948/परि./13, दिनांक 7 दिसम्बर, 2013 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक प्रा. भण्डार सहकारी मर्या., भानपुरा, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भारत सिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(259-D)

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1564.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के परिसमापक आदेश क्रमांक/परि./13/1554, रायसेन, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्थाओं का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखंड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चन्द्रशेखर आजाद मत्स्यो. सह. सं., कायमपुर	385/29-02-88	1344/12-09-2013	सांची
2.	भारतीय मत्स्यो. सह. सं. मर्या., नरवर	793/02-07-02	1246/29-08-2013	सांची
3.	हड्डी एवं चर्मो. सह. सं. मर्या., रायसेन	913/11-03-05	1341/12-09-2013	सांची
4.	प्रिंटिंग छपाई एवं स्टेशनरी सह. सं. मर्या., रायसेन	851/11-11-03	1247/29-08-2013	सांची
5.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., रातातलाई	803/25-10-02	1343/12-09-2013	सांची
6.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., जमुनिया	922/31-05-05	1248/29-08-2013	सांची
7.	चर्म उद्योग सह. सं. मर्या., कलईपुरा	828/13-05-03	1249/29-08-2013	सांची
8.	रेडीमेड वस्त्र उद्योग सह. सं., रायसेन	943/18-04-07	1349/12-09-2013	सांची
9.	महिला पशुपालन सह. सं. मर्या., बडकुई	947/31-08-07	1250/29-08-2013	सांची
10.	नर्मदा रेत ट्रक सह. सं. मर्या., सलामतपुर	474/23-04-91	1253/29-08-2013	सांची

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्थाओं के लेखा-पुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

के. सी. यादव,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(260)

दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1565.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के परिसमापक आदेश क्रमांक/परि./13/1556, रायसेन, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्थाओं का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखंड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., नयापुरा मेवाती	832/29-03-2008	1301/10-09-2013	औ. गंज

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., मुरारी चोपडा	889/1-9-2004	1316/10-09-2013	औ. गंज
3.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., हर्रई	925/26-06-2005	1329/10-09-2013	औ. गंज
4.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., घाटपिपरिया	918/28-03-2005	1291/10-09-2013	औ. गंज
5.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., डुंगरिया	917/28-03-2005	1328/10-09-2013	औ. गंज
6.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., बगासपुर	916/28-03-2005	1310/10-09-2013	औ. गंज
7.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., पिपलिया गज्जू	804/28-10-2002	1309/10-09-2013	औ. गंज
8.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., भोजपुर	832/05-07-2003	1317/10-09-2013	औ. गंज
9.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., राजमउ	879/12-07-2004	1308/10-09-2013	औ. गंज
10.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. सं. मर्या., हिनोतिया	711/04-04-2001	1319/10-09-2013	औ. गंज

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

अनिमा मिंज,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(261)

दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1566.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के परिसमापक आदेश क्रमांक/परि./13/1557, रायसेन, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्थाओं का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखंड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., मोकलवाडा	845/28-09-2003	1227/29-08-2013	बाडी
2.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., शिवतला	824/07-04-2003	1225/29-08-2013	बाडी
3.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., अलीगंज	847/07-10-2003	1226/12-09-2013	बाडी
4.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., बावई	845/09-10-2003	1235/29-08-2013	बाडी
5.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., मेहरागांवकला	869/26-03-2004	1219/29-08-2013	बाडी
6.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., गोरखपुर	877/10-06-2004	1220/29-08-2013	बाडी
7.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., भीमपुरकंजई	902/20-09-2004	1228/29-08-2013	बाडी
8.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., छवारा	938/13-09-2006	1245/29-08-2013	बाडी
9.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., उटियाकला	907/14-10-2004	1244/29-08-2013	बाडी
10.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., नयागांवखुर्द	788/29-06-2002	1242/29-08-2013	बाडी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

ए. पी. सिंह,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(262)

दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1567.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के परिसमापक आदेश क्रमांक/परि./13/1553, रायसेन, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्थाओं का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखंड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मत्स्यो. सह. सं. मर्या., सिलवानी	920/08-04-2005	948/01-06-2013	सिलवानी
2.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., साईखेडा	901/16-09-2001	1245/29-08-2013	सिलवानी
3.	पं. दीनदयाल उपा. ईंधन आपूर्ति सह. सं. मर्या., सिलवानी	931/03-03-2006	1350/12-09-2013	सिलवानी
4.	जय बम बम बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., सलैया	952/01-04-2008	1299/10-09-2013	सिलवानी
5.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., आमखेड़ा	915/19-03-2005	1211/10-09-2013	गैरतगंज
6.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., भानपुर गंज	905/20-09-2004	1209/29-08-2013	गैरतगंज
7.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., पटी	804/28-10-2002	1309/10-09-2013	गैरतगंज
8.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., रमपुरकला	832/05-07-2003	1317/10-09-2013	गैरतगंज
9.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., हरदौट	879/12-07-2004	1308/10-09-2013	गैरतगंज
10.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., सईदपुर	711/04-04-2001	1319/10-09-2013	गैरतगंज

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

पूनम बटटी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(263)

दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1568.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के परिसमापक आदेश क्रमांक/परि./13/1555, रायसेन,

दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्थाओं का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखंड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मत्स्य पालन सह. सं. मर्या., उमरखोह	934/26-07-2006	1340/12-09-2013	बेगमगंज
2.	कृति गृह निर्माण सह. सं. मर्या., बेगमगंज	621/12-09-1997	1208/29-08-2013	बेगमगंज
3.	हरि. बुनकर सह. सं. मर्या., मरखेडा टप्पा	867/04-03-2004	1327/10-09-2013	बेगमगंज
4.	उदित ईंधन आपूर्ति सह. सं. मर्या., बेगमगंज	939/21-09-2006	1294/10-09-2013	बेगमगंज
5.	दिग्विजय बीज उत्पा. सह. सं. मर्या., बेगमगंज	830/11-06-2003	1236/29-08-2013	बेगमगंज

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

एम. एस. ठाकुर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(264)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन

गैरतगंज, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1569.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के निम्नानुसार परिसमापक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1862 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	परिसमापन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., टेकापारगढी	742/15-01-2002	1210/29-08-2013
2.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., लवाझिर	887/27-08-2004	1298/10-09-2013
3.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., देहगाँव	771/06-04-2002	1330/12-09-2013
4.	मत्स्य पालन सह. संस्था मर्या., महलपुरपाठा	970/22-07-2010	1345/12-09-2013
5.	चर्म एवं हड्डी उद्योग सह. संस्था मर्या., गैरतगंज	906/01-06-2013	1288/10-09-2013
6.	आदर्श हरि. बोल्डर सह. संस्था मर्या., समनापुरकला	650/23-03-1998	1286/10-09-2013
7.	आदि. पिछड़ा वर्ग मत्स्यो. सह. संस्था मर्या., मुडियाखेडा	927/01-08-2005	1347/12-09-2013
8.	आदर्श ईंधन आपूर्ति सह. संस्था मर्या., गैरतगंज	874/20-04-2004	1289/10-09-2013
9.	उत्तम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., हिनोतियामहलपुर	960/18-06-2009	1285/10-09-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	हरि. ईंट निर्माण सह. संस्था मर्या., बम्होरीगोदड	541/16-04-1992	1351/12-09-2013
11.	ईंट भट्टा उद्योग सह. संस्था मर्या., रसीदपुर	942/27-02-2007	1352/12-09-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

अनुराग भल्ला,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(265)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

दिनांक 29 अक्टूबर, 2013

क्र./परि./2013/1563.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के परिसमापक आदेश क्रमांक/परि./13/....., रायसेन, दिनांक .....अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र. (1)	परिसमापित संस्थाओं का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)	विकासखंड (5)
1.	नर्वदा गृह निर्माण सह. सं. मर्या., उदयपुरा	315/27-01-1983	792/30-06-1994	उदयपुरा
2.	तिल. उत्पा. सह. सं. मर्या., नूरनगर	376/24-09-1987	1292/29-08-2013	उदयपुरा
3.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., धौलश्री	921/13-04-2005	1213/12-09-2013	उदयपुरा
4.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., नूरनगर	890/03-09-2004	1212/29-08-2013	उदयपुरा
5.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. सं. मर्या., सीहोरा डुंमरिया	936/13-09-2006	1214/29-08-2013	उदयपुरा
6.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. सं. मर्या., कानीवाडा	708/19-12-2000	1215/12-09-2013	उदयपुरा
7.	पत्थर अलंगा बोल्डर सह. सं. मर्या., पटना	643/18-02-1998	1348/29-08-2013	उदयपुरा
8.	मत्स्य पालन सह. सं. मर्या., देवरी	914/23-03-2005	1216/29-08-2013	उदयपुरा

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

आज दिनांक .....अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

ए. के. रावत,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(266)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन

दिनांक 06 नवम्बर, 2013

क्र./परि./2013/1600.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के निम्नानुसार परिसमापक आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्थाओं के नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	विकासखंड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	तिल. उत्पा. सह. सं. मर्या., नरवर	545/29-05-1992	1126/30-07-2011	सांची
2.	माँ अन्नपूर्णा महिला प्रा. उप. सह. भं., सांची	642/08-02-1998	1579/30-09-2004	सांची
3.	आ. जा. मत्स्यो. सह. सं. मर्या., आमखेड़ा	354/14-10-1986	1062/13-08-2001	सांची
4.	वंश मछुआ सह. सं. मर्या., गुलगांव	367/09-03-1987	1826/27-12-2005	सांची
5.	राजीव मत्स्यो. सह. सं. मर्या., नीनोद	386/29-02-1988	871/26-08-2008	सांची
6.	प्रियंका मत्स्यो. सह. सं. मर्या., खोहा	680/02-09-1999	868/26-08-2008	सांची
7.	ज्योति मत्स्यो. सह. सं. मर्या., दाहिडा	681/02-09-1999	869/26-08-2008	सांची
8.	कृष्णा मत्स्यो. सह. सं. मर्या., जमुनिया	682/08-10-1999	870/26-08-2008	सांची
9.	हरि. आदि. मत्स्यो. सह. सं. मर्या., सेमरी	683/08-10-1999	1603/30-09-2004	सांची
10.	श्री गणेश ईंधन आपूर्ति सह. सं., सांची	856/14-01-2004	1126/30-07-2011	सांची
11.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., भादनेर	738/29-12-2001	1126/30-07-2011	सांची
12.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., बांसखेडा	754/22-02-2002	1126/30-07-2011	सांची
13.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., खोहा	896/14-09-2004	1342/12-09-2013	सांची
14.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., बडौदा साठ	892/06-09-2004	1231/29-08-2013	सांची
15.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., मउपथरई	750/31-01-2002	1232/29-08-2013	सांची
16.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., धनियाखेडी	747/27-01-2002	1233/29-08-2013	सांची
17.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., बडौदा	746/27-01-2002	1234/29-08-2013	सांची
18.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., मानपुर	739/29-12-2001	1238/29-08-2013	सांची
19.	महिला बहु. सह. सं. मर्या., महुजागीर	904/20-09-2004	873/26-08-2008	सांची
20.	ईंट उद्योग सह. सं. मर्या., सिलपुरी	640/12-02-1998	974/31-07-2003	सांची
21.	आदर्श महिला सिलाई औद्यो., रायसेन	563/22-11-1994	865/26-08-2008	सांची
22.	समुंदर बीड़ी उद्योग सह. सं., रायसेन	305/19-01-1982	1201/29-08-2001	सांची
23.	स्वास्तिक बड़ी-पापड़ उद्योग, रायसेन	345/27-02-1992	1829/27-12-2005	सांची
24.	क्रांति रेडीमेड वस्त्रोद्योग सह. सं., खनपुरा	866/03-03-2004	1126/30-07-2011	सांची
25.	लेदर एवं मेंटिल बेग्स सह. सं., रायसेन	924/24-06-2005	1126/30-07-2011	सांची
26.	विवेकानंद गृह निर्माण सह. सं., रायसेन	383/11-12-1987	790/30-06-1994	सांची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	सूर्या गृह निर्माण सह. सं. मर्या., सलामतपुर	546/11-11-1992	1399/18-09-2001	सांची
28.	भावना गृह निर्माण सह. सं. मर्या., हटोर मोहल्ला, रायसेन	606/20-12-1996	1825/27-12-2005	सांची
29.	सेवा गृह निर्माण सह. सं. मर्या., रायसेन	618/05-08-1997	1580/30-09-2004	सांची
30.	गुलमोहर गृह निर्माण सह. सं. मर्या., रायसेन	658/08-10-1998	978/30-07-2003	सांची
31.	आर्ट व गृह निर्माण सह. सं. मर्या., टिगरा	800/16-10-2002	860/26-08-2008	सांची
32.	आजाद मत्स्यो. सह. सं. मर्या., हक्काबाद	805/28-10-2002	1240/29-08-2013	सांची
33.	माखनी मत्स्यो. सह. सं. मर्या., माखनी	687/06-08-1999	1200/29-08-2013	सांची
34.	चांदना मत्स्यो. सह. सं. मर्या., चांदना	572/24-11-1995	1237/29-08-2013	सांची
35.	विस्थापित मत्स्यो. सह. सं. मर्या., महुआखेडा	841/26-08-2003	1205/29-08-2013	सांची
36.	जयभारत उप. सह. भ. मर्या., रायसेन	610/19-02-1999	1203/29-08-2013	सांची
37.	पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रा. उप. सह. भंडार मर्या., रायसेन	690/08-06-2002	1318/10-09-2013	सांची
38.	प्रा. स्वास्थ्य कर्म. साख सह. सं., सांची	589/10-07-1996	1204/29-08-2013	सांची
39.	आदर्श हाथकरघा बुनकर सह. सं., रायसेन	278/09-03-1976	1239/29-08-2013	सांची

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1960 की नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों के सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 6 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

एम. एस. राजपूत,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(267)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/12, विदिशा, दिनांक 5 नवम्बर, 2006 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बमूरिया, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./580, दिनांक 7 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बमूरिया, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बमूरिया, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./580, दिनांक 07 दिसम्बर, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप पंजीयक.

(268)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, चैनपुरा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक/837, दिनांक 10 अप्रैल, 1994 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/567, दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 फरवरी, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(269)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

नवकार साख सह. संस्था मर्या., पेटलावद.

यहकि नवकार साख सह. संस्था मर्या., पेटलावद, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 15 नवम्बर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(270)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., कुआरझर.

यहकि दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., कुआरझर, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 912, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आम्बापाड़ा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आम्बापाड़ा, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1032, दिनांक 18 नवम्बर, 2008 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(270-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानाकुआ.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानाकुआ, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1033, दिनांक

18 नवम्बर, 2008 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(270-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतम्भा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतम्भा, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 916, दिनांक 29 दिसम्बर, 1995 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.

8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(270-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोपालपुरा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोपालपुरा, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 911, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.

8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(270-E)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हमीरगढ़.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हमीरगढ़, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 806, दिनांक 27 जुलाई, 1993 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(270-F)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

लक्ष्य स्वायत्त सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद.

यहकि लक्ष्य स्वायत्त सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 16 मई, 2012 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को

अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(270-G)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुर्गेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., रामा (पारा).

यहकि दुर्गेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., रामा (पारा), विकासखण्ड रामा, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 993, दिनांक 05 जून, 2007 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

राजा बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., कंजावानी.

यहकि राजा बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., कंजावानी, विकासखण्ड रामापुर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1056, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

अन्नपूर्णा आजीविका बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., डेमारा.

यहकि अन्नपूर्णा आजीविका बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., डेमारा, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1051,

दिनांक 07 जुलाई, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-B)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमीपुरा.

यहकि गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमीपुरा, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 17 जून, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.

8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

टिडाइ माता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नागनवाट.

यहकि टिंडाई माता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नागनवाट, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.

8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

श्री राम अल्प बचत स्वायत्त साख सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर.

यहकि श्री राम अल्प बचत स्वायत्त साख सहकारी संस्था मर्या., मेघनगर, विकासखण्ड मेघनगर, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 24, दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-E)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोलाबड़ी.

यहकि लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोलाबड़ी, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 02 सितम्बर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को

अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-F)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

श्री विनायक ऑटो प्रिन्ट सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ.

यहकि श्री विनायक ऑटो प्रिन्ट सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 15, दिनांक 18 जून, 2006 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-G)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगोर.

यहकि दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., भगोर, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 463, दिनांक 04 जून, 1980 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-H)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडलीपाडा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडलीपाडा, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 930, दिनांक

26 अगस्त, 1996 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-I)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

प्रशिक्षित श्रमिक कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ.

यहकि प्रशिक्षित श्रमिक कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ, विकासखण्ड झाबुआ, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 383, दिनांक 03 सितम्बर, 1965 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-J)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेमारिया.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेमारिया, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 565, दिनांक 25 जून, 1978 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-K)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उन्नई.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उन्नई, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1041, दिनांक 17 अगस्त, 2009 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन

प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-L)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठिकरिया.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठिकरिया, विकासखण्ड....., जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 917, दिनांक 27 दिसम्बर, 1995 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-M)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमलखेड़ा.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमलखेड़ा, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 711, दिनांक 06 नवम्बर, 1992 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-N)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सामली.

यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सामली, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 899, दिनांक 12 जून, 1995

है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-O)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोडायता.

यहकि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोडायता, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1059, दिनांक 04 सितम्बर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.

8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-P)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

माँ शारदा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बामनिया.

यहकि माँ शारदा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बामनिया, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1021 दिनांक 17 मई, 2007 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.

8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-Q)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

कल्पतरू बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलसाडिया.

यहकि कल्पतरू बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलसाडिया, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1060, दिनांक 04 सितम्बर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-R)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

शारदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरसिहमुण्डा.

यहकि शारदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरसिहमुण्डा, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1058, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-S)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

गणेश बीज आजीविका उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हनुमत्या.

यहकि गणेश बीज आजीविका उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हनुमत्या, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1052, दिनांक 13 जुलाई, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-T)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

सिद्धी विनायक स्वायत्त साख सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद.

यहकि सिद्धी विनायक स्वायत्त साख सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 28, दिनांक 21 जून, 2012 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य

की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है..
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-U)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रलियावन.

यहकि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रलियावन, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1048, दिनांक 07 जून, 2010 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.

8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-V)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

माही प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार, पेटलावद.

यहकि माही प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार, पेटलावद, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1020, दिनांक 17 मई, 2007 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.

8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-W)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

श्री आई. जी. स्वायत्त साख, पेटलावद.

यहकि श्री आई. जी. स्वायत्त साख, पेटलावद, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 24 फरवरी, 2012 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.

4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.

6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.

7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.

8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-

पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-X)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

अंबिका बीज उत्पादक स्वायत्त अमरगढ़.

यहकि अंबिका बीज उत्पादक स्वायत्त अमरगढ़, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 09, दिनांक 04 अप्रैल, 2003 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन

प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

(269-Y)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

श्री धनलक्ष्मी स्वायत्त साख, पेटलावद.

यहकि श्री धनलक्ष्मी स्वायत्त साख, पेटलावद, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 24 फरवरी, 2012 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 16 मार्च, 2014 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2014 को जारी किया गया है.

बबलू सातनकर,
उप आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

(269-Z)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2014-चैत्र 28, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, खरगोन, बड़वानी, सीहोर, जबलपुर, मण्डला में जुताई व भोपाल में प्याज की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, खरगोन, बड़वानी, सीहोर, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मण्डला में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में खरीफ फसलों की व भोपाल में धान की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		राई-सरसों, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिल अधिक. उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला अशोकनगर:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		समान.		
4. टीकमगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .	कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		मटर, आलू, प्याल अधिक. धान,		
4. पवई	. .		ज्वार, बाजरा, मूँग, तिल, गेहूँ कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) लाख, तिवड़ा, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, जौ कम. अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर समान	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना, मटर अधिक. गेहूँ कम. राई-सरसों, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) चना, मटर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक. गेहूँ, जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) गेहूँ कम. अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ चना अधिक. राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. शामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. कयामपुर	. .				
10. संजीत	. .				
***जिला नीमच :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, गन्ना, मूँग-मोठ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		मूँगफली अधिक. कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास अधिक .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) तुअर, चना कम. कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
4. कट्टीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन, कपास , मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. आम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	बोनी का कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. बरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .			चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, लाख.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. प्याज की रोपाई व बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी, गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. बोनी व खरीफ फसलों की	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) धान, सोयाबीन, गन्ना, मूँग-मोठ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .	बोनी का कार्य चालू है.	4. (1) अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	कार्य चालू है.	4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		राई-सरसों, मटर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
***जिला डिण्डोरी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ चना, मटर अधिक. ज्वार, बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, तिल, सोयाबीन, सन, लाख, तिवड़ा कम. मूँग, मूँगफली, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला अशोकनगर, गुना, सिंगरौली, नीमच, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(253)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.